न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्वं प्रकरण संख्या 29/2014

सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

.....*प्रार्थी*

बनाम

श्री जगदीश पुत्र श्री छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम मेवदाकला तहसील केकडी जिला अजमेर

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

अन्तर्गत नियम 14(4)
राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील ।
2. श्री मंगलराम चौधरी, कवील अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 30.03.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.01.2013 को ग्राम मेवदाकला में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री जगदीश पुत्र श्री छोटू जाति मीणा निवासी ग्राम मेवदाकला के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा ग्राम मेवदाकला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1630 रकबा 1.00 भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि मौके पर रास्ता है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तू जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र मे उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि ग्राम मानखण्ड से नयागांव जाने वाले रास्ते के उपयोग में आने से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण जांच करने के पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उनका कथन है कि अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है, इसी आधार पर उनके पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिती में बनाई गई है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में बारानी 3 दर्ज है। उन्होंने यह भी कथन किया कि नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे की प्रति संलग्न नहीं की गई है। अप्रार्थी के विरूद्व रंजिशवश शिकायत प्रस्तुत की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि ग्राम मानखण्ड से नयागांव आने जाने हेतु ग्रामवासियान द्वारा रास्ते के उपयोग में जी जा रही है। हालांकि राजस्व रेकार्ड में भूमि किस्म रास्ता नहीं है किन्तू भौतिक रूप से मौके पर रास्ता है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम मेवदाकलां स्थित आराजी खसरा नम्बर 1630 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश किया जाते है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner